भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 646
22 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी समिति का गठन

646 **डा.एल.हनुमंतय्या:**
डा.अमी याज्ञिक:
श्री राजमणि पटेल:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादे के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार इस समिति में प्रत्येक राज्य सरकार के सदस्यों को शामिल करेगी;

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे को 22 आवश्यक कृषि फसलों से आगे बढ़ाते हुए इसमें अन्य फसलों को शामिल करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या,और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (च) सरकार ने देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने एवं फसल के स्वरूप को बदलने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में किसानों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार,राज्य सरकार,कृषि अर्थशास्त्री एवं वैज्ञानिक इत्यादि शामिल हैं।

सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों और अन्य संगत कारकों पर विचार करके 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) एवं गन्ने हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्यों (एफआरपी) का निर्धारण करती है।

एमएसपी तंत्र के तहत फसलों को शामिल करना कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य कारकों के साथ व्यापक रूप से उगाया जाना, बड़े पैमाने पर खपत, अपेक्षाकृत लंबे समय तक खराब नहीं होना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, सरकार कृषि/बागवानी वस्तुओं, जो कि प्रकृति में नाशवान होती हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत नहीं आती हैं, की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को लागू करती है

*****